

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

रावेबा

बनाम

श्रीमद्व्याल

किस्म मुकदमा

काना

मु.नं. 235 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
01 $\frac{12}{25}$	वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 26.12.2025 को पेश हो।
20 $\frac{12}{25}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. दि. 10 $\frac{02}{26}$ को पेश की।
10 $\frac{02}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. दि. 12 $\frac{03}{26}$ को पेश की।
12 $\frac{03}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. दि. 13 $\frac{04}{26}$ को पेश की।
13 $\frac{04}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 17 $\frac{04}{26}$ को पेश की।
17 $\frac{04}{26}$	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनु। वकील वादी व वादी स्वयं को वाड-बाड आवाज लगावाई गई। इकर के बावजूद न्यायालय समय में लायंकाल तक भी इकर में ल कोई भी उपस्थित नहीं होन पर पत्रावली इसी हद पर भद्रम केली। यदम हाजिरी में खारिज क्रिये जान के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फिसल शुमार होठ कान तकमील दाखिल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर

